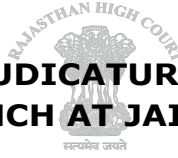




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4553/2025

Smt. Julie Singh @ Priya W/o Shri Bablesh Meena, R/o Ulupura,
Police Station Bhusavar, District Bharatpur, Presently C-3,
Badarna Sabji Mandi, Police Station Vishwakarma District Jaipur,
Rajasthan. (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajveer Singh Rajawat
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesht Agrawal, Dy.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

09/04/2025

1. प्रार्थिया-अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-दौलतपुर (जयपुर-अजमेर हाईवे), जिला-जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-62/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2) व 140(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पेश किया गया है।
2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया-अभियुक्ता का तर्क रहा है कि अभियुक्ता को इस मामले में झूठा लिप्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया-अभियुक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्ता दो माह की गर्भवती महिला है तथा अभियुक्ता के साथ उसकी दो वर्ष की पुत्री गीत भी जेल में है जो गंभीर रूप से बीमार चल रही है। जिसका ईलाज पहले तो जेल अस्पताल में चला, उसके बाद उसे जे.के. लॉन अस्पताल में रेफर किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया-अभियुक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्ता के जेल में रहने से उसकी पुत्री गीत का ईलाज सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के



आधार पर प्रार्थिया-अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियुक्ता की बच्ची गीत के ईलाज संबंधी दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थिया-अभियुक्ता के जमानत आवेदन-पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान लोक अभियोजक की ओर से प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

4. बहस सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्ता के अन्य साथी मुलजिमान के साथ उसके विरुद्ध 115(2), 126(2), 189(2) व 140(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत दण्डनीय अपराधों का आरोप है। अभियुक्ता को इस मामले में दिनांक 13.03.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है। अभियुक्ता के साथ उसकी दो वर्ष की पुत्री गीत भी जेल में निरुद्ध है जो गंभीर रूप से बीमार है, जिसे ईलाज के लिए जे.के. लॉन अस्पताल में रेफर किया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थिया-अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. परिणामतः प्रार्थिया-अभियुक्ता **श्रीमती जूली सिंह उर्फ प्रिया पत्नी बबलेश मीणा** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-62/2025, पुलिस थाना-दौलतपुर (जयपुर-अजमेर हाईवे), जिला-जयपुर (पश्चिम)** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बन्ध-पत्र तथा **पचास-पचास हजार रुपये** की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा अभियुक्ता की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थिया-अभियुक्ता



को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Lokesh Raj/510